श्री युत लखविंदर सिंह स्टोन क्रशर, गांव पोलियां बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) द्वारा गांव व मौजा कौठार वीत तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) कुल क्षेत्रफल 9–68–72 (9.6872) हैक्टेयर से रेत, बजरी व पत्थर के संग्रह के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरण जन सुनवाई के आयोजन संबंधी कार्यवाही का विवरण

हिमाचल प्रदेष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 23.12.2011 को प्रातः 11:00 बजे गांव पोलियां बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) में श्री युत लखविंदर सिंह स्टोन क्रशर गांव पोलियां बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि. प्र.) द्वारा गांव व मौजा कौठार वीत तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) कुल क्षेत्रफल 9–68–72 (9.6872) हैक्टेयर से रेत, बजरी व पत्थर के संग्रह के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई आयोजित की गई। यह पर्यावरण जन सुनवाई भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0.–एसओ 1533 दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, ऊना की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्नक–1 पर उपलब्ध है। इस जन सुनवाई के दौरान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, खनन अधिकारी जिला ऊना व पंचायत प्रधान पोलियां वीत व कौठार वीत एवं अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण एवं गांव पचायतों के निवासी उपस्थित थे। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेष राज्य प्रदूषण नियन्त्रंण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री बृज भूषण, पर्यावरण अभियंता द्वारा जन सुनवाई की पृष्ठ भूमि के आयोजन के उददेष्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया । तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ऊना ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि इस खनन क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव, विचार एवं षिकायत हो तो वे निसंकोच पूछ सकते हैं । तत्पश्चात स्टोन क्रशर के प्रतिनिधि द्वारा खनन क्षेत्र के प्रारूप और विस्तरित पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में जन समूह को अवगत करवाया गया ।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई की प्रकिया आरंभ की गई। इस जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई । इस जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र. सं.	नाम व पता	मुद्दे	उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणी
1.	श्री अजयबीर सिंह गांव व डाक. कौठार वीत	उन्होंने कहा कि यह पूरा खनन क्षेत्र मैंने क्रशर मालिक को पट्टे पर दिया है । इस भूमि का कृषि सम्बन्धी कोई भी उपयोग नहीं होता हैं । इस भूमि से पत्थर निकालने के बाद यह सारा खनन क्षेत्र कृषि भूमि के रूप में विकसित हो जायेगा । उन्होने इस क्रशर की स्थापना की भी सराहना की ।	
2.	श्री मलकीत सिंह गांव व डाक. कौठारवीत	उन्होने ने इस क्रशर की स्थापना की सराहना की । उन्होने यह भी कहा कि इस भूमि का कृषि करने में उपयोग नहीं होता है। इस भूमि से पत्थर निकालने के बाद यह सारा खनन क्षेत्र कृषि भूमि के रूप में विकसित हो जायेगा । उन्होने अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी से निवेदन किया कि इस क्रशर को खनन की अनुमति दी जाये ।	
3.	श्री हरभजन सिंह गांव व डाक कौठार वीत	उन्होने कहा कि इस क्रशर की स्थापना से साथ लगते सभी गांव खुश हैं, क्योंकि यह क्रशर नजदीक है । उन्होने अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी से निवेदन किया कि इस क्रशर को खनन की अनुमति दी जाये ।	
4.	श्री धर्मपाल अग्निहोत्री, गांव व डाक. कौठार वीत	उन्होने कहा कि इस खनन क्षेत्र से पत्थर निकालने के बाद इस भूमि को कृषि करने योग्य विकसित किया जायेगा । उन्होने अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी से निवेदन किया कि इस क्रशर को अनापति प्रमाण पत्र दिया जाये ।	
5.	श्री अनिल कुमार गांव व डाक. खन्नी पंजाब	उन्होने कहा कि इस क्रशर की स्थापना पंजाब सीमा के साथ होने से सभी गांव वासियों को लाभ हुआ है । आरम्भ में हम रेत व बजरी पठानकोट से खरीदते थे जो हमें मंहगी पड़ती	

		थी । अब हम रेत व बजरी इस क्रशर से खरीदते हैं, जोकि हमें सस्ती दरों पर उपलब्ध होती है ।	
6.	श्री तिलक राज गांव व डाक खन्नी पंजाब	उन्होने कहा कि इस क्रशर की स्थापना पंजाब सीमा के साथ होने से सभी गांव वासियों को लाभ हुआ है । आरम्भ में हम रेत व बजरी की ट्रोली 2500 से 2800 रूपये प्रति के हिसाब से पठानकोट से खरीदते थे जो हमें मंहगी पड़ती थी । अब हम रेत व बजरी की ट्रोली 1200 से 1300 रूपये प्रति के हिसाब से इस क्रशर से खरीदते हैं, जोकि हमें सस्ती दरों पर उपलब्ध होती है ।	
7.	श्री बूटा राम गांव व डाक खन्नी पंजाब	उन्होने कहा कि पत्थर निकाल कर इस खनन क्षेत्र को कृषि के लिए विकसित किया जायेगा । आरम्भ में हम रेत व बजरी पठानकोट से खरीदते थे । अब हम रेत व बजरी इस क्रशर से सस्ती दरों पर खरीदते हैं । इस क्रशर के मालिक ने यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है । उन्होने यह भी कहा कि क्रशर मालिक गरीब लोगों को रेत व बजरी की मुफ्त पूर्ति करते है।	
8.	श्री सुभाष चन्द भूतपूर्व प्रधान गांव व डाक पोलियां बीत	उन्होने कहा कि पिछले तीन बर्षो से यह स्टोन क्रशर यहां पर स्थापित है । 70 से 75 प्रतिशत रोजगार गांव व डाक पोलियां बीत के लोगों को दिया गया है। एक मास पहले क्रशर मालिक ने एक स्कूल का कमरा अपने धन से बनवाया इस क्रशर का बचा हुआ अतिरिक्त माल कृषि भूमि को विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है । इसलिये इस खनन क्षेत्र का अनापति प्रमाण पत्र दिया जाये ।	

अंत में पर्यावरण अभियंता, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा पर्यावरण जन सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का जन सुनवाई में भाग लेने का आभार प्रकट किया ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
ऊना, जिला ऊना हि.प्र.